मेहनतकशों का पैग़ाम

मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

आवारा पशुओं से निजात दिलायेंगे विधायक विपुल ? राष्ट्रपति भवन में आपकी जगह हो न हो इतिहास में आपकी जगह पक्की है — 3

फ़िलहाल नरेन्द्र मोदी का कोई विकल्प नहीं — 5

नेता बेचारे प्रचार के मारे रास्ता क्या ? फ़ासीवाद या क्रांति — 6

6 लेन प्रोजेक्ट की पूछताछ पर कम्पनी की बहानेबाज़ी थाना एन आई टी पुलिस संरक्षण में पनपता अपराध — 8

वर्ष 28 अंक 5 फरीदाबाद, शुक्रवार, 16-31 जनवरी 2015 फोन : - 9999595632 2 ₹

हरसरू भूमि-कांड के शिकार बने गुड़गांव आयुक्त प्रदीप कासनी

दांव पर लगे हों हज़ारों करोड़ तो बड़े पेटों में उठते हैं मरोड़

मंडलायुक्त के अचानक तबादले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बचाव वाली मुख-मुद्रा बड़ी ही दयनीय नज़र आती है। जो बात तो ईमानदारी की करे और काम उसे चिड़ीमारी का करना पड़े, तो यही गति बनती है। इस एक तबादले से राज्य की भाजपा सरकार ने लूटो-खाओ का खुला संदेश भू-माफ़िया और भ्रष्ट अफ़सरशाही को पहुंचा दिया है।

मजदूर मोर्चा, गुड़गांव ब्यूरो

हरसरू गांव की 8 एकड़ ज़मीन का इन्तकाल व मिलकियत खारिज करना तत्कालीन मंडलायुक्त प्रदीप कासनी को तो भारी पड़ा ही, साथ में सुशासन तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात करने वाली भाजपाई खट्टर सरकार की पोल भी खुल गयी।

उक्त 8 एकड़ ज़मीन राजस्व विभाग के रिकार्ड में हरियाणा सरकार की थी। लेकिन वाटिका नामक एक बिल्डर कम्पनी के मालिक अनिल भल्ला ने तिकड़मबाज़ी से इस ज़मीन को अपनी कम्पनी के नाम करा लिया। इस 8 एकड़ के मिलने से यहां पर कम्पनी की कुल ज़मीन 100 एकड़ हो गयी जो कि किसी भी कॉलोनाइजेशन के लिये एक आवश्यक शर्त होती है। कम्पनी ने तिकड़मबाज़ी से रजिस्ट्री के बाद ज़मीन का इन्तकाल भी अपने नाम पर चढवा लिया था। पटवारी, तहसीलदार, डी आर ओ से होता हुआ एस डी एम से भी इन्तकाल सही होता चला गया था। इसी बीच राज्य सरकार ने मामला हाई कोर्ट के समक्ष ला खड़ा किया। हाई कोर्ट ने वाटिका कम्पनी के विरुद्ध फ़ैसला देकर ज़मीन वापस सरकार को लौटाने को कहा।

हाई कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि यह ज़मीन किसी भी निजी हाथों में नहीं दी जा सकती। एस डी एम अपनी कलम से इन्तकाल को रद्द कर नहीं सकता था। लिहाज़ा उसने उचित कार्यवाही हेतु कलेक्टर को लिखा। लिखने-पढ़ने का यह सिलसिला पिछले 3 सालों से चल रहा था कि अचानक नयी सरकार द्वारा कमिश्नर लगाये प्रदीप कासनी के नोटिस में सारा मामला आ गया। उन्होंने गंभीरता से मामले का संज्ञान लेते हुए पटवारी से लेकर डी आर ओ तक के विरुद्ध पुलिस में आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने के लिये सरकार को लिखते हुए इन्तकाल को खारिज कर दिया।

वाटिका कम्पनी के लिये सैकड़ों करोड़ की इस 8 एकड़ ज़मीन का इतना महत्व नहीं था जितना यह कि इसकी वजह से पूरी 100 एकड़ ज़मीन का कॉलोनाइजेशन लाइसेंस रद्द होना था। गुड़गांव शहर के मध्य में स्थित यह भूखंड कम्पनी के लिये हज़ारों करोड़ का मुनाफ़ा देने वाला सौदा था। कासनी की एक कलम ने सारे सौदे को मिट्टी कर दिया। न केवल सौदा मिट्टी हो गया बल्कि राजस्व विभाग के उन छोटे-बड़े अधिकारियों की नज़र में कम्पनी की साख भी मिट्टी हो गयी जो इस कम्पनी को माई-बाप समझते आये थे।

भरोसेमंद सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मात्र इस कम्पनी के कहने पर खट्टर ने कासनी को नहीं बदला है भाजपा अध्यक्ष अमितशाह के इशारे पर कासनी का यह सब हुआ है। जानकार बताते हैं कि इस मामले को लेकर शाह ने खट्टर पर इतनी तगड़ी डांट मारी कि उनकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो गयी और इस कदर गुम हुई कि आज तक वे यह नहीं सोच पाये कि कासनी को कहां तैनाती दी जाये। यह रहस्य भी किसी से छिपा नहीं है कि तमाम बड़ी-बड़ी कम्पनियां, खासकर रीयल एस्टेट में हज़ारों करोड़ का कारोबार करने वाली कम्पनियां अपने हर प्रोजेक्ट में सत्तारूढ राजनेताओं व बड़े अफ़सरशाओं का हिस्सा-पत्ती रख कर चलते हैं। अमितशाह की भाजपा के सत्तारूढ होने से पूर्व भी इस कम्पनी द्वारा जो गोलमाल किये गये वे ऐसे ही नहीं हो पाये थे। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा व उनके किसी समय के खास चहेते मन्त्री विनोद शर्मा व खासमखास अफ़सरशाह टी सी गुप्ता के तार भी इस कम्पनी से जुड़े रहे हैं।

कासनी के तबादला कांड में मज़ेदार एवं गौरतलब तथ्य है कि सरकारी तौर पर उनके हरसरू ज़मीन कांड की सराहना की गयी, और जिस बावल ज़मीन अधिग्रहण अवार्ड का आरोप (ज़बानी तौर पर) उन पर लगाया जा रहा है वह तकनीकी तौर पर उन पर लगता ही नहीं। इसीलिये अब खट्टर सरकार गहरे शशोपंज में फ़ंसी है कि वह कासनी का करे तो क्या करे ? आरोप अथवा चार्जशीट उन पर कोई आयद होती नहीं, जुर्म कोई बनता नहीं, सज़ा दे बैठे , उसका औचित्य कैसे ठहरायें ?

बावल ज़मीन अधिग्रहण से सम्बन्धित एक और जानकारी सामने आई है। अधिग्रहण की सारी कार्यवाही यानी कि धारा 4,6,9 आदि से लेकर आखिर तक सारी कार्यवाही आयुक्त उद्योग विभाग द्वारा की गयी थी न कि मंडल आयुक्त द्वारा। यह कार्यवाही वर्ष 2011 से चली आ रही थी।

सर्वविदित है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हूडा) की तरह ही एच एस आई डी सी (हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम) भी किसानों से मनमाने दामों पर ज़मीन झटक कर दसियों गुणा ऊंचे दामों पर बेच कर भारी मुनाफ़ा कमाने का धंधा करता है। इस विवादित भूमि अधिग्रहण के लिये सरकारी घोषित दामों से जहां किसानों को 500 करोड़ का लाभ होने वाला था वहीं सत्ताधारी गिरोह की लूट में इतनी ही कटौती हो जाती। यह उन्हें कैसे बर्दाश्त होता ?

भूमि माता किसकी भारी जेब जिसकी

लगता है खट्टर को मोदी का इशारा देर में समझ आया। अन्यथा जिस चुस्ती से केन्द्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में अध्यादेश के जरिए संशोधन किया, वह हरियाणा में सरकार चलाने वालों के लिए भी पर्याप्त इशारा होना चाहिए था। यानी अब किसान की ज़मीन औने-पौने ही ली जाएगी, समझो खट्टर महाराज!

मोदी सरकार के अध्यादेश में किसानों से सस्ते दामों ज़मीन छीन कर पूंजीशाहों को पकड़ाने की व्यवस्था की गयी है। ऐसे में यह कैसे संभव था कि ज़िला रिवाड़ी के बावल की ज़मीन के दाम बाज़ार भाव के हिसाब से तय किये जाते। लिहाज़ा एक ही झटके में रिवाड़ी के उपायुक्त, एस डी एम व तहसीलदार, जो किसानों को अच्छा भाव प्रस्तावित करने के दोषी पाये गये, को दर-बदर कर दिया गया। लगे हाथ मंडलायुक्त कासनी को भी लपेट लिया गया।

इस तरह मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने राजनीतिक आकाओं के प्रति पूर्ण वफ़ादारी प्रदर्शित कर दी है। कल तक किसानों की बात करने वाले खट्टर आज भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों को उजाड़ने वाले कानून की पैरवी करते दिखाई पड़ते हैं। अभी तो खट्टर की राजनीतिक पारी का आगाज़ है। आगे और न जाने कितनी बार थूके को चाटना पड़ेगा।

ख़बर दार

राजनीतिक अखाड़े में दो स्टंटबाज!

एक और स्टंट: हिन्दू महासभा पी के से नाराज!

राम रहीम : फिल्म का स्टंट

रामदेव : कुश्ती का स्टंट

धर्म की राजनीति करने वाले क्या-क्या गुल नहीं खिलाते। पहले वे धर्म की ध्वजा पकड़ कर राजनीति में प्रवेश करते हैं, और फ़िर राजनीति की डुगडुगी बजा कर अपना मुनाफ़ा व्यापार बढाते हैं। जब व्यापार का कच्चा चिट्ठा खुलने लगता है तो फ़िर अपने बचाव में वे धर्म की आड़ लेने शुरू कर देते हैं। रामदेव और राम रहीम जैसे धर्मगुरू और हिन्दू महासभा व विश्व हिन्दू परिषद जैसे संगठन फ़िलहाल इसी कुचक्र को फ़लित करते देखे जा सकते हैं।

राम रहीम पर हत्या और बलात्कार के मुकदमे तो वर्षों से चल रहे थे, अब उसके सिरसा मुख्यालय में दर्जनों 'भक्तों' को बधिया करने का मामला भी सामने आ गया है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हरियाणा पुलिस को इस मामले में मुकदमा भी दर्ज करना पड़ा। चुनाव से एन पहले, हवा का रूख देख कर, राम रहीम भाजपा के पाले में कूद गया। राज्य में खट्टर सरकार बनने के बाद भाजपा के 35 विधायकों/मन्त्रियों ने उसका अभिनंदन भी किया। जाहिर है राम रहीम राजनीतिक हवा का फ़ायदा उठा कर अपने खिलाफ़ चल रहे मुकदमों में राहत चाहेगा ही।

'भक्तों' में अपनी साख और गहरी करने के लिए राम रहीम ने एक स्टंट फ़िल्म का निर्माण भी किया। इस फ़िल्म में उसे तरह-तरह के चमत्कार करते दिखाया गया है। भोले-भाले भक्तों में अपनी श्रद्धा की जड़ मजबूत करने का यह तरीका इसलिए भी जरूरी था कि कहीं अदालती कार्यवाहियां बहुत अधिक शैतानी छवि न बना दें। एक तरह से राम रहीम भाजपा में मोदी गिरोह का खेल भी खेल रहा है। इसके मुताबिक रामदेव के आभामंडल को फ़ीका रखने के लिये राम रहीम जैसों के आभामंडल को चमकाना जरूरी है।

शेष पेज दो पर

शर्मनाक

सूरजकुंड की भाजपा पाठशाला

50 विशिष्ट लोगों के लिये 15 डॉक्टर

फ़रीदाबाद (म.मो.) भारतीय जनता पार्टी ने अपने नवनिर्वाचित विधायकों को आर एस एस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के सिद्धान्त तथा मोदीवाद पढाने के लिये 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हरियाणा सरकार के आलीशान पर्यटन स्थल सूरजकुंड पर किया और शहर की अधमरी स्वास्थ्य सेवा को पूरी तरह मार दिया।

पाठशाला में पढने आये करीब 50 विधायकों व अन्य नेताओं को अचानक किसी चिकित्सा सेवा की जरूरत पड़ने की स्थिति से निपटने के लिये स्थानीय बादशाह खान अस्पताल से विभिन्न बिमारियों के 5 चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टरों व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ़ को दो एम्बुलेंस गाड़ियों के साथ 'पाठशाला' के बाहर तैनात कर दिया गया है। हर 8 घंटे के बाद डॉक्टरों की यह टीम बदल कर दूसरी टीम आ जाती है। इस प्रकार चौबीसों घंटे चलने वाली इस वी आई पी ड्यूटी के लिये 15 डॉक्टर तथा अन्य स्टाफ़ को 3 दिन के लिये बादशाहखान अस्पताल से मुक्त कर दिया गया है।

विदित है कि बादशाहखान अस्पताल में 80 डॉक्टरों की जरूरत के मुकाबले मात्र 55 डॉक्टरों के ही स्वीकृत पद हैं। इनमें से भी 24 खाली पड़े हैं; अर्थात 80 की जगह कुल 31 डॉक्टरों से ही काम को बेगार की तरह घसीटा जा रहा है। कोढ में खाज की भांति इन उपलब्ध डॉक्टरों में से भी 15 को यानी आधे डॉक्टरों को इन वी आई पी लोगों की चाटुकारी के लिये तैनात कर दिया गया है।

पहले से ही खूब पढे-पढाये व गढे-गढाये इन राजनेताओं को कोई क्या पढा कर जायेगा वह तो समय ही बतायेगा; फ़िलहाल तो उनका स्वार्थ और बेशर्मी अपनी पूरी पराकाष्ठा पर नज़र आ रही है। जो राजनेता 2000 की आबादी पर एक डॉक्टर के तयशुदा मानक के आसपास भी डाक्टरों की नियुक्ति नहीं कर पाये, उन्हीं राजनेताओं को अपने बिमार हो जाने की इतनी चिन्ता सताती है कि एडवांस में ही (बिमारी की संभावना न होते हुए भी) अपने लिये डॉक्टरों की इतनी भारी-भरकम फ़ौज तैनात करली है। विदित है कि 20 लाख आबादी के इस शहर में ई एस आई निगम के डॉक्टरों सहित करीब

शेष पेज दो पर